न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

**अपील संख्या आर टी ए/128/2015**

**उनवान**

1. छोटू पिता मांगु बलाई निवासी बडोदिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बिजौलिया जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरणसंख्या 88/2011(197/2005) निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.6.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री आर सी सारस्वत, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 18.9.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बडोदिया पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलिया स्थित आराजी नम्बर 432 व 433 में से 5 बीघा एवं आराजी नम्बर 438 में से 3 बीघा कुल रकबा 8 बीघा भूमि पर वादी का कब्जाकाश्त दिनांक 1 जनवरी 1970 के पूर्व से निरन्तर चला आ रहा है। वादी का वादग्रस्त आराजियात पर 1 जनवरी 1970 से पूर्व का कब्जाकाश्त होने से प्रतिवादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर 2 तहसीलदार बिजौलिया द्वारा पत्रावली संख्या 371 / 2000 को अपने निर्णय दिनांक 1.9.2001 को कर वादी का कब्जा राज्य सरकार के आदेशानुसार 1 जनवरी 1970 के पूर्व का होने से नियमन की सिफारिश प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के यहॉ की गई। परन्तु उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ द्वारा वादी की सिफारिश पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया । राज्य सरकार की अधिसूचना 3 (1) 1971 के तहत सभी चरागाह बिलानाम अन्य किस्म की जो राजकीय भूमियॉ है । उस पर 12 साल या उससे अधिक अवधि का कब्जा होने पर अतिक्रमी के पक्ष में भूमि की नियमन की सिफारिश कर उसे आवंटन करने का आदेश प्रदान हुआ है। परन्तु उक्त आदेश की अवहेलना की जा रही है। प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा वादी के विरूद्ध 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की जाकर बेदखली एवं शास्ती आरोपित की जा रही है। जिसका प्रतिवादी संख्या 2 को अधिकार नहीं है। अतः वादग्रस्त आराजी नम्बर 432 व 433 में से 5 बीघा एवं आराजी नम्बर 438 में से 3 बीघा कुल रकबा 8 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्दकिया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि किसी अन्य को आवटित नहीं करें एवं वादी के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी नहीं करे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी नम्बर 432, 433 व 438 राजस्व ग्राम बडोदिया में 8 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था। जो अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होकर अपीलार्थी की शहादत पूर्ण की जाकर प्रत्यर्थीगण की शहादत की स्टेज पर था किन्तु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर अपीलार्थी को सुनवाई व जवाब का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया जो कि विधि विपरीत होने व प्राकृत न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प जलिन्द्री में पारित किया गया है उक्त कैम्प में अपीलार्थी स्वयं उपस्थित था , ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने और वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के मुकाबले उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान क निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायालयों के निर्णय व आदेश की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया किया गया है। जो खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात परअपीलार्थी का कब्जा 1970से पूर्व का है। यह आदेश प्रत्यर्थी संख्या 2 तहसीलदार बिजौलिया ने अपने प्रकरण संख्या 371/2000 आदेश

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 1.9.2001 में पारित किया है जिसके तहत उक्त भूमि को चरागाह से कम कर नियमन कर दिये जाने की सिफारिश की गई थी। इस प्रकार भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया द्वारा चरागाह भूमि से उक्त आराजियात को कम कर दिये जाने और ग्राम पंचायत जलिन्द्री की ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 4.7.97 द्वारा भी इसी आशय की अनुशंषा सर्वसम्मति से पारित की गई थी उसके बावजूद उक्त आराजियात का चरागाह भूमि के रूप में रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है और वादी अपीलार्थी का वाद चलने योग्य था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण आदेशों पर गौर न कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर अपीलार्थी / वादी को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी कब्जेकाश्त में दखलंदाजी नहीं करें एवं किसी अन्य व्यक्ति को वादग्रस्त आराजी आवंटन नहीं करे ।

7. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जा 1970 से पूर्व का है इसलिए उसे खातेदारी अधिकार दिये जावें। अपीलाधी मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी / वादी ने वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया । जिस पर तनकियात कायम की गई। दिनांक 15.6.2015 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट जलिन्द्री नियत किया गया । प्रत्यर्थी संख्या 2 तहसीलदार द्वारा कैम्प कोर्ट में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर वादी का वाद पत्र खारिज किया गया ।

9. चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी / प्रत्यर्थी की ओर से जवाब दावा आने पर तनकियात कायम की जा चुकी थी एवं साक्ष्य वादी के उपरान्त प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में लंबित था। प्रत्यर्थी / प्रतिवादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में यदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया था तो उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने से पूर्व अपीलार्थी / वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था। जब प्रत्यर्थी संख्या 2 / प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा पूर्व में जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया था एवं तनकियात कायम की जा चुकी थी तो उपलब्ध साक्ष्य, राजस्व रेकार्ड, का अवलोकन कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निहित प्रावधानों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिये था । नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन मामले में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

10. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

15.6.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उपरोक्त ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदार करने के उपरान्त तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। उभपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.18 को उपस्थित रहें।

11. निर्णय आज दिनांक 18.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

18/9/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा